एपेन्डिक्स–1

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल टी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि एवं कमी) विनियम, 2007

अधिसूचना

फरवरी 26, 2007

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 व धारा 57 के साथ पठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व लागू होना :

(1) ये विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल टी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2007 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगे।

(3) ये विनियम संम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होंगे।

(4) ये विनियम केवल एल टी संयोजनों पर लागू होंगे, इनमें नये संयोजन प्रदान करना तथा पहले स्वीकृत भारों में वृद्धि या कमी करना सम्मिलित होगा।

2. परिभाषाएं–

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) "विकासक" से ऐसा व्यक्ति या कम्पनी या संगठन या प्राधिकारी, अभिप्रेत है जो आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग हेतु किसी क्षेत्र को विकसित करने के लिए जिम्मेदारी लेता है तथा इसमें विकास अभिकरण (जैसे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इत्यादि) कॉलोनाइजर्स, बिल्डर्स, सहकारी सामूहिक आवासीय समितियाँ, संघ इत्यादि सम्मिलित हैं;

(2) "विद्युतीकरण क्षेत्र" से नगर निगम, नगर पालिका, नगरपालिका परिषद, नगर क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र व अन्य नगर निकाय व गांवों में अनुज्ञापी/राज्य सरकार द्वारा विद्युतीकृत घोषित क्षेत्र अभिप्रेत होंगे;

(3) "छोड़े हुए लघु क्षेत्र" से एक विद्युतीकृत क्षेत्र के भीतर कोई क्षेत्र अभिप्रेत होंगे–

(क) जहां अनुज्ञापी ने कोई वितरण मेन लाईन नहीं बिछायी है तथा समीपस्थ वर्तमान वितरण मेन 201 मीटर या इससे अधिक दूरी पर है,

(ख) किसी विकासक द्वारा विकसित या विकसित किये जा रहे आवासीय या व्यवसायिक कॉलोनी/कॉम्पलेक्स, जिसमें ऐसी कॉलोनी/काम्पलेक्स, के भीतर वितरण मेन बिछाये ही नहीं गये हैं या ऐसी कॉलोनी/कॉम्पलेक्स का संभावित भार उठाने की क्षमता नहीं है या ऐसी अवमानक गुणवत्ता वाले हैं कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 में अनुबंधित प्रतिमानकों को पूरा नहीं करते हैं जिसमें जीवन व संम्पत्ति की हानि की संभावना है;

(4) "बकाया देयों" से विच्छेदन के समय पर उक्त परिक्षेत्र पर सभी लंबित देय तथा देर से संदाय अधिभार, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (2) के अधीन हों, अभिप्रेत हैं;

(5) "नियमों" से भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 या भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन संरचित है उनके परवर्ती नियम अभिप्रेत हैं;

(6) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी शब्दों व अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं है किन्तु विद्युत अधिनियम,2003 में परिभाषित हैं।

3. संयोजन प्रदान करने हेतु शर्तें :

(1) अनुज्ञापी, अपनी वेबसाईट तथा अपने सभी कार्यालयों में उन स्थानों, जहां उनकी ओर से नये संयोजन के लिए आवेदन स्वीकार किये जाते हैं, नये संयोजन प्रदान किये जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया तथा ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की पूर्ण सूची, प्रमुखता से दर्शायेगा। सामान्य तौर पर ऐसा कोई दस्तावेज जो सूची में नहीं है, नहीं मांगा जायेगा। इस विनियम के नियम 5(10) में दी गई सारणी—1 के अनुरूप, आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि तथा सेवा लाईन की लागत प्रमुखता से दर्शायी जायेगी।

(2) जहां आवेदक ने ऐसी वर्तमान संपत्ति क्रय की है जिसका विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया है तो यह आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह यह सत्यापित करे कि पूर्व स्वामी ने अनुज्ञापी को सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया है तथा उससे " अदेयता प्रमाण—पत्र" प्राप्त कर लिया है। यदि संपत्ति क्रय करने से पहले पूर्व स्वामी द्वारा ऐसा "अदेयता प्रमाण—पत्र" प्राप्त नहीं किया गया है तो नया स्वामी, ऐसे प्रमाण—पत्र हेतु अनुज्ञापी के संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। अनुज्ञापी ऐसे निवेदन की प्राप्ति स्वीकार करेगा तथा या तो वह सम्पत्ति पर बकाया देय धनराशि, यदि कुछ है, लिखित में सूचित करेगा या ऐसे आवेदन की तिथि से एक माह के भीतर "अदेयता प्रमाण—पत्र" जारी करेगा। यदि अनुज्ञापी इस समय के भीतर बकाया देय धनराशि की सूचना नहीं देता है या "अदेयता प्रमाण—पत्र" जारी नहीं करता तो पूर्व स्वामी को बकाया देय धनराशि के आधार पर, परिक्षेत्र में नये संयोजन को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में अनुज्ञापी को विधि के उपबन्धों के अधीन, पूर्व उपभोक्ता से देय धनराशि वसूल करनी होगी।

(3) जहां कोई सम्पत्ति विधिसंगत रूप से उपविभाजित की गई है तो ऐसी अविभाजित संपत्ति पर ऊर्जा के उपयोग हेतु बकाया देय धनराशि, यदि कुछ है , तो वह ऐसी उपविभाजित संपत्ति के क्षेत्र के आधार पर यथानुपातिक रूप से विभाजित की जायेगी।

(4) ऐसे उपविभाजित परिक्षेत्र के किसी भाग हेतु नवीन संयोजन विधिसंगत रूप में विभाजित ऐसे परिक्षेत्र पर लागू बकाया देय धनराशि का भाग, आवेदक द्वारा अदा कर दिये जाने के पश्चात् ही दिया जायेगा। एक अनुज्ञापी, केवल इस आधार पर कि ऐसे परिक्षेत्र के अन्य भाग (गों) की देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है, किसी आवेदक को संयोजन हेतु इनकार नहीं करेगा, ना ही अनुज्ञापी, ऐसे आवेदकों से अन्य भाग (गों) के पिछले भुगतान किये गये बिलों का रिकार्ड मांगेगा।

(5) सम्पूर्ण परिक्षेत्र या भवन के गिराये जाने व पुनर्निर्माण के मामले में वर्तमान संस्थापन वापस सौंप दिया जायेगा तथा अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। मीटर तथा सेवा लाईन को हटा दिया जायेगा तथा पुराने परिक्षेत्र पर सभी देय धनराशियों के भुगतान के पश्चात्, पुनर्निर्मित भवन हेतु एक नवीन संयोजन लिया जायेगा। ऐसे मामलों में निर्माण के उद्देश्य हेतु, वर्तमान संयोजन में से अस्थायी विद्युत सेवा की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(6) एक नये उपभोक्ता को संयोजन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन व परिचालन) विनियम, 2006 के उपबन्धों के अनुसार केवल सही विद्युत मीटर के साथ ही प्रदान किया जायेगा तथा उक्त विनियम में निर्धारित किये अनुसार ही इसकी संस्थापना की जायेगी।

4. नये संयोजन हेतु आवेदन :

एक नये संयोजन हेतु आवेदन, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा किया जायेगा तथा इसके पश्चात् नीचे दिये गये अनुसार अनुज्ञापी द्वारा कार्यवाही होगी :—

(1) एक नया विद्युत संयोजन प्राप्त करने का इच्छुक भावी उपभोक्ता, अनुज्ञापी को इस हेतु आवेदन, परिशिष्ट—1 में दिये गये निर्धारित आवेदन प्रपत्र में, करेगा।

(2) निर्धारित आवेदन प्रपत्र, अनुज्ञापी के उपखण्ड कार्यालय या किसी अन्य कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं या अनुज्ञापी की विभागीय वेबसाईट www.uttaranchalpower.com. तथा www.upcl.org से डाऊनलोड किये जा सकते हैं या फोटो कॉपी भी किये जा सकते हैं।

(3) आवेदन प्रपत्र के साथ जमा किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज निम्नलिखित हैं:—

(क) स्वामित्व या अधिकार (औक्यूपेंन्सी) का प्रमाण—पत्र :

जिस परिक्षेत्र पर संयोजन अपेक्षित है उसके स्वामित्व या अधिकार के प्रमाण स्वरूप, आवेदक, निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज जमा करेगा :—

(i) विक्रय लेख या पट्टा लेख की प्रति या खसरा या खतौनी की प्रति या

(ii) रजिस्ट्रीकृत सामान्य मुखत्यारनामा या

(iii) नगर पालिका कर रसीद या मांग सूचना या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज या

(iv) आवंटन—पत्र

(v) एक आवेदक जो परिक्षेत्र का स्वामी नहीं है किन्तु परिक्षेत्र पर उसका कब्जा है, उपरोक्त सं0 (i) से (iv) में दिये दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज के साथ, परिक्षेत्र के स्वामी का अनापत्ति प्रमाण—पत्र भी जमा करेगा।

(ख) पहचान प्रमाण—पत्र :

यदि आवेदक एक अकेला व्यक्ति है तो पहचान पत्र के प्रमाण स्वरूप, निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति जमा करानी होगी :—

(i) निर्वाचन पहचान कार्ड, या

(ii) पासपोर्ट, या

(iii) ड्राइविंग लाइसेन्स, या

(iv) फोटो राशन कार्ड, या

(v) सरकारी एजेन्सी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, या

(vi) ग्राम प्रधान या पटवारी/लेखपाल/ग्राम स्तर के कार्यकर्ता/ग्राम चौकीदार/प्राथमिक विद्यालय अध्यापक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी इत्यादि का प्रमाण—पत्र,

यदि आवेदक कोई कम्पनी, न्यास, विद्यालय/महाविद्यालय, सरकारी विभाग इत्यादि है तो संबंधित संस्था के प्रासंगिक प्रस्ताव प्राधिकारी पत्र के साथ आवेदन पर शाखा प्रबन्धक, प्रधानाचार्य, अधिशासी अभियन्ता जैसे सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर भी अपेक्षित होंगे।

(ग) वचनबंध :

परिशिष्ट 1.1 में दिये गये प्रारूप में यह प्रमाणित करते हुए एक वचनबंध कि परिक्षेत्र में वायरिंग व अन्य विद्युत कार्य, लागू अधिनियम/नियमों व विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप किया गया है।

(4) आवेदक से विधिवत भरा प्रपत्र प्राप्त करने के पश्चात्, अनुज्ञापी का प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्रपत्र की जांच करेगा तथा आवेदन में यदि कोई कमियां पाई जायें तो उन्हें आवेदक से तुरन्त सुधरवाया जायेगा।

(5) नये संयोजन हेतु किसी भी आवेदक को अनुज्ञापी द्वारा "तकनीकी रूप से साध्य नहीं" जैसे कारणों या किसी सामग्री की बाध्यता के कारण वापस नहीं लौटाया जायेगा।

5. अनुज्ञापी द्वारा आवेदन पत्र का प्रोसेसिंग :

(1) आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने पर, अनुज्ञापी तिथि डालकर उसकी प्राप्ति स्वीकृति करेगा।

(2) जैसा कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 के नियम 47 के अधीन अपेक्षित है, आवेदन प्राप्ति की तिथि से 5 दिन के भीतर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, अनुज्ञापी आवेदक के संस्थापन का निरीक्षण व परीक्षण करेगा। संस्थापन का परीक्षण भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 48 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा तथा निरीक्षक अधिकारी, जैसा कि उससे भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 47 के अधीन अपेक्षित है, प्राप्त परीक्षण के परिणामों का रिकार्ड परिशिष्ट 1.2 में दिये गये प्रपत्र में रखेगा।

(3) यदि परीक्षण पर अनुज्ञापी को कोई त्रुटि मिलती है जैसे कि संस्थापन का पूरा ना होना या कंडक्टर के अनावृत्त सिरों को या जोड़ों को इन्सुलेटिंग टेप से पूरी तरह ढका ना होना या वायरिंग का इस प्रकार किया जाना कि वह जीवन/सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो तो वह परिशिष्ट 1.2 में दिये गये प्रपत्र में उसी समय रसीद के साथ आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(4) यदि आवेदन–पत्र में इसका उल्लेख नहीं है तो अनुज्ञापी, सम्पत्ति के समीप भूमि चिन्ह के साथ तथा जहां से सेवा संयोजन दिया जाना प्रस्तावित है वहां से खम्भे की संख्या सहित परिक्षेत्र का सही तथा पूरा पता भी रिकार्ड करेगा। यह सूचना भविष्य में मीटर पढ़ने तथा बिलिंग के लिए आवश्यक है।

(5) आवेदक 15 दिन के भीतर सभी त्रुटियों को दूर करेगा तथा प्राप्ति स्वीकृति के अधीन अनुज्ञापी को लिखित में इसकी सूचना देगा। यदि आवेदक ऐसी त्रुटियों को दूर करने में असफल रहता है या त्रुटियों को दूर किये जाने के संबंध में अनुज्ञापी को सूचित करने में असफल रहता है तो आवेदन व्यपगत (लैप्स) हो जायेगा तथा आवेदक को फिर से आवेदन करना होगा।

(6) त्रुटियों को दूर किए जाने के संबंध में आवेदक से सूचना प्राप्त होने पर, अनुज्ञापी ऐसी सूचना प्राप्ति के पांच दिन के भीतर संस्थापन का पुनः निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा। यदि पहले बतायी गयी त्रुटियां तब भी जारी हों तो अनुज्ञापी उन्हें परिशिष्ट 1.2 में दिये गये प्रपत्र में फिर से रिकार्ड करेगा तथा उसकी एक प्रति आवेदक या स्थल पर उपलब्ध उसके प्रतिनिधि को देगा। आवेदन तब व्यपगत (लैप्स) हो जायेगा व प्राप्ति स्वीकृति के अधीन आवेदक को यह सूचना दे दी जायेगी। यदि आवेदक अनुज्ञापी के इस कृत्य से व्यथित हो तो वह विद्युत निरीक्षक से अपील कर सकता है जिसका अधिमत इस संबंध में अंतिम तथा बाध्यकारक होगा।

(7) अनुज्ञापी यह भी अभिनिश्चित करेगा कि क्या परिक्षेत्र पर कोई देय धन राशि बकाया है, तथा यदि है तो अनुज्ञापी ऐसी बकाया राशि का पूर्ण विवरण देते हुए, आवेदन की तिथि से पांच दिन के भीतर एक मांग नोट जारी करेगा। आवेदक को यह बकाया देय धनराशि पन्द्रह दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उसका आवेदन व्यपगत (लैप्स) हो जायेगा तथा प्राप्ति की स्वीकृति के अधीन लिखित में उसको इसकी सूचना दे दी जायेगी।

(8) यदि निरीक्षण पर यह पाया जाता है कि त्रुटियां दूर कर दी गयी हैं तथा कोई देय राशि बकाया नहीं है या उसका भुगतान कर दिया गया है तो अनुज्ञापी, पूर्व निर्धारित प्रति मानकों के अनुसार निर्धारित भार स्वीकृत करेगा जो कि आयोग द्वारा स्वीकृत अथवा आवेदित भार दोनों में से जो अधिक है, होगा तथा पांच दिन के भीतर आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(9) यदि आवेदन की तिथि से 5 दिन के भीतर आवेदक को कोई त्रुटि नोट या मांग नोट प्राप्त नहीं होता है तो आवेदित भार स्वीकृत कर लिया गया समझा जाये तथा अनुज्ञापी इन आधारों पर संयोजन प्रदान करने से इनकार नहीं करेगा।

(10) भार स्वीकृत किये जाने से 5 दिन के भीतर, आवेदक नीचे सारणी–1 में दिये गये निर्धारित प्रभार नकद या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करेगा'–

सारणी–1 सेवा लाईन प्रभार व प्रारम्भिक प्रतिभूति

क्रम सख्या	संविदाकृत भार (कि.वा.)	सेवा लाईन प्रभार (रु0)		प्रारम्भिक प्रतिभूति (रु0/कि.वा.)			
		ऊपरी	भूमि के नीचे	घरेलू	अघरेलू	औद्योगिक	पी.टी. डब्लू
1	बी.पी.एल./लाईफ लाईन (यदि कुटीर ज्योति या केन्द्र/राज्य सरकार की ऐसी ही किसी योजना के अधीन समावेशित न हो)	100	लागू नहीं	100	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	4 कि. वा. से कम या उसके बराबर	400	800				
3	4 कि. वा. से अधिक व 10 कि.वा. के बराबर	1,000	2,000				
4	10 कि. वा. से अधिक व 20 कि.वा. के बराबर	2,000	4,000	400	1,000	1,000	100
5	20 कि. वा. से अधिक व 50 कि.वा. के बराबर	5,000	10,000				
6	50 कि. वा. से अधिक व 75 कि.वा. के बराबर	7,500	15,000				

(i) उपरोक्त सेवा लाईन प्रभार वास्तव में अपेक्षित सेवा लाईन की लम्बाई का विचार किये बिना है।

(ii) भूमि के नीचे की सेवा लाईन हेतु प्रभार में विभिन्न सामग्री जैसे जी0आई0 पाईप, ईंट, रेता, मजदूरी इत्यादि की लागत सम्मिलित है।

(iii) अनुज्ञापी पिछले 12 माहों के दौरान रिकार्ड किये गये वास्तविक उपयोग के आधार पर प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को सभी वर्तमान उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा की समीक्षा व पुनर्निर्धारण करेगा। [मानकीय उपयोग (एन.आर./एन.ए/आई.डी.एफ./ए.डी.एफ./आर.डी.एफ.) आधार पर तैयार किये गये बिलों पर अपेक्षित प्रतिभूति जमा के आकलन हेतु विचार नहीं किया जायेगा] किसी उपभोक्ता से अपेक्षित प्रतिभूति 2 माह में औसत उपभोग हेतु देय प्रभार के बराबर होगी। यदि अनुज्ञापी के पास प्रतिभूति जमा, उपरोक्त गणनानुसार, अपेक्षित राशि से कम पड़ती है तो अनुज्ञापी अगले बिलिंग चक्र में उतनी अतिरिक्त राशि जोड़ते हुए बिल प्रेषित करेगा। यदि अनुज्ञापी के पास प्रतिभूति जमा, अपेक्षित धनराशि से अधिक है तो अधिक प्रतिभूति अगले बिल में समायोजित की जायेगी।

(iv) इस राशि पर ब्याज, समय–समय पर आयोग द्वारा दिये गये निदेशानुसार देय होगा।

(11) अनुज्ञापी, निम्नलिखित से 30 दिन के भीतर एक सही मीटर के माध्यम से संयोजन को क्रियाशील करने के लिए बाध्यताधीन होगा।

(क) यदि कोई त्रुटि या बकाया देय धनराशि न हो तो आवेदन की तिथि,

(ख) त्रुटियां दूर करने की सूचना की तिथि या बकाया देय धनराशि का शोधन दोनों में से जो बाद में हो।

(12) यदि अनुज्ञापी, उपरोक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी आवेदक को संयोजन प्रदान करने में असफल रहता है तो वह आवेदक द्वारा जमा करायी गयी राशि पर रु0 10 प्रति रु0 1000 (या उसका एक भाग) जुर्माना देने का जिम्मेदार होगा, जो व्यतिक्रम में प्रतिदिन हेतु अधिकतम रु0 1000 तक होगा।

(13) अनुज्ञापी, मासिक रूप से खण्ड वाइज रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसमें उन संयोजनों की संख्या का विवरण उल्लेखित होगा जिन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील नहीं किया गया है तथा ऐसे व्यतिक्रम के कारण एकत्रित जुर्माना भी जमा करायेगा।

(14) यदि इन विनियमों के अनुरूप उसका संयोजन क्रियाशील नहीं होता है तो आवेदक, आवेदन की तिथि, अनुज्ञापी द्वारा निरीक्षण की तिथि इत्यादि का पूर्ण विवरण देते हुए आयोग के समक्ष इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

6. छूटे हुए लघु क्षेत्र में नवीन संयोजन :

(1) यदि किसी छूटे हुए लघु क्षेत्र में एक नया संयोजन अपेक्षित है जिसमें अनुज्ञापी को अपने वितरण मेन विस्तारित करने या नये वितरण मेन बिछाने या एक उपस्टेशन लगाने की आवश्यकता है तो अनुज्ञापी, आपूर्ति प्रदान करने में लगने वाले अपेक्षित समय की सूचना आवेदक को देगा जो कि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :—

(क)	यदि केवल वितरण मेन का विस्तार करना है	60 दिन
(ख)	यदि एक नये उप स्टेशन का भी लगाना है	90 दिन
(ग)	यदि एक नये 33/11 के.वी. का उप स्टेशन लगाना है	180 दिन

(2) उपरोक्त मामले में आवेदक को, ऊपर दी गई सारणी—1 में विनिर्दिष्ट प्रभारों के अतिरिक्त, नीचे दी गई सारणी—2 में दिये एक मुश्त विकास प्रभार भी जमा करने होंगे :—

सारणी—2 विकास प्रभार

क्रम संख्या	संविदाकृत भार (कि.वा.)	प्रभार (रु0)
1	4 कि. वा. से कम या उसके बराबर	4,000
2	4 कि. वा. से अधिक व 10 कि.वा. के बराबर	10,000
3	10 कि. वा. से अधिक व 20 कि.वा. के बराबर	20,000
4	20 कि. वा. से अधिक व 50 कि.वा. के बराबर	50,000
5	50 कि. वा. से अधिक व 75 कि.वा. के बराबर	75,000

(3) एक क्षेत्र में प्रथम संयोजन दिये जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर इस क्षेत्र में किसी छूटे हुए लघु क्षेत्र में तथा नया संयोजन चाहने वाला आवेदक भी उपरोक्त बताये गये एक मुश्त विकास प्रभार का भुगतान करेगा। इन आंकड़ों को उपरोक्त विनियम 3(1) में संदर्भित स्थलों पर प्रमुखता से दर्शाया जायेगा। ऐसे छूटे हुए लघु क्षेत्र में स्वीकृत भार में उसकी वृद्धि चाहने वाला आवेदक अतिरिक्त विकास प्रभार का भुगतान करेगा जिसकी गणना, मूल प्रभार प्राप्त करते समय किये गये भुगतानों को ध्यान में रख कर की जायेगी।

(4) विकासक के क्षेत्र के उपभोक्ताओं की ओर से विकासक द्वारा अनुज्ञापी को विकास प्रभार का एक मुश्त इस प्रकार भुगतान किया जायेगा जिस प्रकार कि विकासक व संबंधित उपभोक्ता आपस में सहमत हों या अपने परिक्षेत्र हेतु संयोजन की मांग करते समय उस क्षेत्र के प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा सीधे अनुज्ञापी को भुगतान किया जायेगा।

7. उपरोक्त सारणी 1 व 2 में 'निर्धारित प्रभारों', के अतिरिक्त मीटर का मूल्य, अतिरिक्त केबिल, प्रोसेसिंग फीस आदि जैसे कोई अन्य प्रभार, किसी नये संयोजन के आवेदन कर्ता द्वारा देय नहीं होंगे।

8. स्वीकृत भार में वृद्धि/कमी हेतु प्रक्रिया :

(1) उपभोक्ता, वित्तीय वर्ष में एक बार कभी भी अपने संविदाकृत भार में वृद्धि या कमी कर सकते हैं।

(2) इसके लिए उपभोक्ता, परिशिष्ट—2 में दिये गये तथा अनुज्ञापी के उप—खण्ड कार्यालयों से निःशुल्क उपलब्ध प्रपत्र में अनुज्ञापी को आवेदन करेंगे। इन प्रपत्रों को अनुज्ञापी की वेबसाईट से डाऊनलोड भी किया जा सकता है।

(3) आवेदक को उसके आवेदन की प्राप्ति हेतु लिखित व दिनांकित प्राप्ति रसीद दी जायेगी।

(4) प्रभार में वृद्धि चाहने वाला उपभोक्ता प्रतिभूति का भुगतान करेगा तथा यदि सेवा लाईन को उच्च क्षमता की सेवा लाईन द्वारा परिवर्तित करना आवश्यक होता है, तो उसे उपरोक्त सारणी –1 के अनुसार सेवा लाईन भार का भी भुगतान करना होगा। वर्तमान भार हेतु पहले से भुगतान की गई प्रतिभूति राशि समायोजित की जायेगी।

(5) यदि उपभोक्ता द्वारा चाही गई भार में कमी के कारण वर्तमान सेवा लाईन मीटर इत्यादि परिवर्तन करना अपेक्षित हो तो उपभोक्ता, अनुज्ञापी को, उपरोक्त सारणी –1 के अनुसार सेवा लाईन प्रभार का भी भुगतान करेगा तथा कम किये गये भार हेतु अपेक्षित प्रतिभूति जमा व पहले से किये गये जमा का अन्तर, अगले दो बिलिंग चक्रों में समायोजित किया जायेगा।

(6) भार में कमी के निवेदन पर विचार करते समय अनुज्ञापी पहले उक्त उपभोक्ता के वास्तविक उपभोग का विवरण सत्यापित करेगा। यदि वास्तविक उपभोग के प्रतिरूप से यह इंगित होता है कि पूर्व में वास्तव में उपयोग किया गया भार, मांगे जाने वाले भार से अधिक है तो मांग की गई कमी की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा आवेदक को तद्नुसार सूचित कर दिया जायेगा। उदाहरण–

उन संस्थापनों के लिए जहां एम.डी.आई. के साथ इलैक्ट्रॉनिक मीटर संस्थापित किये गये हैं–

भार श्रेणी	औद्योगिक
स्वीकृत भार	50 के.वी.ए.
भार में निवेदित कमी	35 के.वी.ए.
पिछले 12 माह में अधिकतम मांग	40 के.वी.ए.

क्योंकि, एम.डी.आई द्वारा इंगित किये अनुसार पिछले 12 माह में अधिकतम मांग भार में निवेदित कमी से अधिक थी अतः भार में कमी का निवेदन माना नहीं जायेगा।

उन स्थानों के लिए जहां मीटर एम.डी.आई. के साथ लगाए गये हैं–

भार की श्रेणी	घरेलू
स्वीकृत भार	7 के.डब्लू.
भार में कमी	4 के.डब्लू.
अधिकतम उपयोग विगत 12 माह के दौरान	600 के.डब्लू.एच./के.डब्लू.
घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत प्राथमिक उपयोग*	100 के.डब्लू.एच.
प्राथमिक उपयोग की गणना	600/100 = 6 के.डब्लू.

*टेरिफ ऑर्डर के अन्तर्गत प्राथमिक बिल का प्राथमिक उपयोग।

चूंकि विगत 12 माह में औसत भार निर्धारित भार से अधिक रहा है अतः भार में कमी का निवेदन माना नहीं जायेगा।

(7) भार में वृद्धि/कमी की मांग करने वाले आवेदनों की प्राप्ति के पश्चात् 30 दिन के भीतर स्वीकृत भार में वृद्धि/कमी की जायेगी। यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर भार में वृद्धि/कमी नहीं हो जाती है तो अनुज्ञापी द्वारा रु0 500 का जुर्माना देय होगा।

परिशिष्ट—1

नये संयोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए	
प्रभाग का नाम	
उप प्रभाग का नाम	
आवेदन संख्या	
प्राप्ति तिथि	

1— आवेदक का नाम			
2— पता जिस पर आपूर्ति अपेक्षित है	मकान/प्लाट		
	गली		
	कॉलोनी /क्षेत्र		
	जिला		
दूरभाष, यदि कोई है		मोबाइल, यदि कोई है	

यदि आवेदक कोई कम्पनी/संगठन या संघ है :

3—स्थायी पता	मकान/प्लाट		
	गली		
	कालोनी /क्षेत्र		
	जिला		
दूरभाष यदि कोई है		मोबाइल यदि कोई है	

यदि आवेदक किरायेदार या कब्जाधारी है :

4—सम्पत्ति के स्वामी का पता	मकान/प्लाट		
	गली		
	कॉलोनी /क्षेत्र		
	जिला		
दूरभाष, यदि कोई है		मोबाइल, यदि कोई है	

आवेदित भार के.डब्लू. में	
6— प्लॉट का आकार व निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर) (केवल घरेलू व अघरेलू संयोजन हेतु)	

7— अ उपयोग	जो लागू हो उस पर चिन्ह लगायें		
	ए— घरेलू		
	बी— अघरेलू		
	सी—औद्योगिक		
	डी— व्यक्तिगत ट्यूबवैल		

8— यदि परिक्षेत्र में कोई विद्युत संयोजन विद्यमान है	हां/नहीं
9—यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दें:—	
(ए)— सेवा संयोजन संख्या	
(बी)— पुस्तक संख्या	
11—समीपस्थ भूमि चिन्ह खम्बा संख्या/फीडर पिलर संख्या/समीपस्थ मकान संख्या (अनुज्ञापी द्वारा भरा जाये)	

12—संलग्न दस्तावेजों की सूची	1	पहचान/पते का सबूत (निम्नलिखित में से किसी एक की प्रति) किसी एक पर निशान लगाएं : ए. निर्वाचन पहचान कार्ड बी. पासपोर्ट सी. ड्राइविंग लाइसेन्स डी. फोटो राशन कार्ड इ. सरकारी अभिकरण द्वारा जारी फोटो पहचान कार्ड एफ. ग्राम प्रधान, प्रधान या पटवारी/लेखपाल/ग्राम स्तर कार्यकर्ता/ग्राम चौकीदार/प्राथमिक पाठशाला अध्यापक,/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी जैसे ग्राम स्तर के सरकारी कार्यकर्ता से प्रमाण—पत्र
	2	स्वामित्व/कब्जे का सबूत (निम्नलिखित में से एक को प्रति) किसी एक पर निशान लगाऐं— ए—विक्रय लेख या पट्ट लेख की प्रति या खसरा खतौनी की प्रति या बी— रजिस्ट्रीकृत मुख्तारनामा या सी—नगरपालिका कर रसीद या मांग नोटिस या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज या आवंटन पत्र एक आवेदक जो कि परिक्षेत्र का स्वामी नहीं है, किन्तु कब्जा धारी है, डी— उपरोक्त (ए) से (डी) में अंकित किसी दस्तावेज के साथ परिक्षेत्र के स्वामी का निराक्षेप प्रमाण भी प्रस्तुत करेगा। ई—
	3	निर्धारित प्रारूप में आवेदक द्वारा घोषणा

दिनांक हस्ताक्षर

पावती

निम्नलिखित विवरणानुसार विद्युत हेतु नये संयोजन के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया :—

1. आवेदक का नाम ____________________

2. पता जहां संयोजन अपेक्षित है ____________________

3. आवेदित भार ____________________

रबर स्टैम्प

यू0पी0सी0एल0 प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम व पद

परिशिष्ट—1.1

घोषणा/वचन बंध

मैं, ... पुत्र श्री ....निवासी.................................इसके पश्चात्) ''आवेदक'' संदर्भित, जिस शब्द के अभिप्राय में निष्पादन, प्रशासक उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती व समनुदेशक सम्मिलित हैं) एतद्द्वारा निम्नलिखित शपथ लेते हैं व घोषणा करते हैं :—

.............................., कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन निगमित , जिसका कार्यालय .... पर (इसके पश्चात् ''आवेदक'' सन्दर्भित, जैसा कि पद में, जब तक कि संदर्भ में या उसके अभिप्राय में विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी व समनुदेशक सम्मिलित हैं, एतद्द्वारा निम्नलिखित शपथ लेते हैं व घोषणा करते हैं :—

कि आवेदक.. पर परिक्षेत्र का विधिपूर्ण कब्जाधारी है, जिसके समर्थन में आवेदक ने कब्जे का सबूत दिया है कि आवेदक ने यू.पी.सी.एल. से, आवेदन प्रपत्र में उल्लेखित उद्देश्य हेतु आवेदक के नाम पर उपरोक्त उल्लेखित परिक्षेत्र में एक सेवा संयोजन प्रदान करने का निवेदन किया है।

कि घोषणा प्रस्तुत करते समय आवेदक ने यह भली भांति समझ लिया है कि यदि भविष्य में उसका यह कथन झूठा या गलत साबित होता है तो यू.पी.सी.एल. को पूरा अधिकार होगा कि वह बिना किसी सूचना के आवेदक की आपूर्ति विच्छेद कर दे तथा उपभोक्ता प्रतिभूति जमा के सापेक्ष देयों का समावेश करे।

कि आवेदक एतद्द्वारा सहमति प्रदान करता है व वचन देता है कि—

(1) आवेदक को दिये जाने वाले नये सेवा संयोजन के कारण यू.पी.सी.एल. को होने वाली सभी कार्यवाहियों, दावों, मांगों, लागतों, हानियों, व्ययों के सापेक्ष क्षतिपूर्ति करने का;

(2) कि परिक्षेत्र के भीतर किये गये सभी विद्युत कार्य हमारी पूरी जानकारी अनुसार भारतीय विद्युत नियमावली के अनुरूप है। (जहां आवेदन पुनर्संयोजन के लिए है या आवेदन परिक्षेत्र का कब्जाधारी है;

(3) इस सम्बन्ध में आवेदक को हुई किसी हानि के लिए यू.पी.सी.एल. क्षतिपूरक है। इसके अतिरिक्त, आवेदक सहमत है कि उसके परिक्षेत्र के भीतर विद्युत कार्य में त्रुटि के कारण यदि यू.पी.सी.एल. की सम्पत्ति को कोई अपहानि/हानि होती है तो सभी दायित्व आवेदक द्वारा वहन किये जायेंगे;

(4) नियमित रूप से तथा भुगतान हेतु शोध्य होने पर, समय—समय पर प्रवृत आपूर्ति हेतु विविध प्रभार, व यूपीसीएल की दर सूची में नियत दरों पर विद्युत उपयोग बिल व अन्य प्रभार के भुगतान हेतु;

(5) पूर्ववर्ती वर्ष में आवेदक के उपभोग पर आधारित समय—समय यू.पी.सी.एल. द्वारा संशोधित, अतिरिक्त उपभोग जमा को जमा करना;

(6) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों, विद्युत आपूर्ति, संहिता, शुल्क आदेश तथा समय—समय पर लागू उ0वि0नि0आ0 द्वारा अधिसूचित कोई अन्य नियमों या विनियमों का पालन करना;

(7) संविदाकृत अवधि की समाप्ति से पूर्व या किसी संविदात्मक त्रुटि के कारण, अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, आवेदक द्वारा भुगतान की गई उपभोक्ता प्रतिभूति जमा के सापेक्ष, यू.पी.सी.एल. विद्युत उपभोग प्रभार अन्य प्रभार के साथ समायोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा;

(8) यू.पी.सी.एल. द्वारा उपलब्ध कराये गये मीटर, सी.टी., केबल इत्यादि को संरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए उत्तरदायी होना तथा यदि आवेदक के कारण उपकरणों को कोई क्षति पहुंचती है तो आवेदक उसका प्रभार भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, मीटर इत्यादि की सील टूटने के कारण या प्रत्यक्ष/बेईमानी से विद्युत निकालने के कारण होने वाले सभी प्रतिक्रियाओं व वर्तमान विधि अनुसार आवेदक उत्तरदायी होगा;

(9) मीटर पढ़ने तथा इसकी जांच इत्यादि के उद्देश्य हेतु मीटर तक स्पष्ट व अविल्लंगम पहुंच प्रदान करना;

(10) कि किसी व्यतिक्रम या कानूनी उपबंध की अवहेलना पर तथा कानूनी प्राधिकार द्वारा ऐसे आदेश को लागू करने के लिए कानूनी बाध्यता होने पर आवेदक, यू.पी.सी.एल. को सेवा विच्छेदित करने देगा। यह विच्छेदन की तिथि पर अपने भुगतान पाने सहित यू.पी.सी.एल. के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा;

(11) कि यू.पी.सी.एल. विद्युत की आपूर्ति में अवरोध या ह्रास हेतु उत्तरदायी नहीं होगा;

(12) आवेदक द्वारा की गई उपरोक्त सभी घोषणाएं, यू.पी.सी.एल. व आवेदक के मध्य एक करार मानी जायेंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

हस्ताक्षर व प्राप्ति
साक्षी की उपस्थिति में
साक्षी का नाम

परिशिष्ट—1.2

परीक्षण परिणाम रिपोर्ट

(भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 47 व 48 का संदर्भ लें)

(अनुज्ञापी के प्रतिनिधि द्वारा भरा जाये)

इन्सुलेशन रेजिस्टेन्स का परिणाम (फेज कन्डक्टर व अर्थ के मध्य एक मिनट के लिए 500 वोल्ट का दबाव देकर नापने पर)

फेज—1 व अर्थ फेज—2 व अर्थ फेज—3 व अर्थ

1. फेज व अर्थ के मध्य

सावधानी : जब कोई उपभोक्ता उपकरण जैसे कि पंखे, ट्यूब्स, बल्ब इत्यादि सर्किट में हों तो फेज व न्युट्रल के मध्य या फेजों के मध्य इन्सुलेशन रेजिस्टेन्स को नहीं नापा जायेगा क्योंकि ऐसे परीक्षण के परिणाम उपकरण की रेजिस्टेन्स को दर्शायेंगे न कि संस्थापन की इन्सुलेशन रेजिस्टेन्स।

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 33 के अधीन अपेक्षित अर्थ टर्मिनल यू.पी.सी.एल. द्वारा उपलब्ध कराया गया है तथा यह टर्मिनल यूपीसीएल के अर्थिंग सिस्टम के साथ संयोजित किया गया है।

आपके विद्युत संस्थापन में निम्नलिखित कमियां पायी गयी हैं, आपसे निवेदन है कि उन्हें पन्द्रह दिन के भीतर से दिनांक ....दूर कर दें तथा यू.पी.सी.एल. को सूचित करें ऐसा न करने पर, नये संयोजन हेतु आपका निवेदन निरस्त हो जायेगा :—

1— ....

2—..

3—..

4—..

दिनांक

अनुज्ञापी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम व पता

(आवेदक द्वारा भरा जाये)

परिक्षेत्र का परीक्षण अनुज्ञापी द्वारा मेरी उपस्थिति में किया गया तथा

मैं परीक्षण से सन्तुष्ट हूँ

मैं परीक्षण से सन्तुष्ट नहीं हूँ और अपील विद्युत निरीक्षक के समक्ष दायर कर सकता हूँ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यू.पी.सी.एल. ने परिक्षेत्र में, भारतीय विद्युत नियमावली, 1965 के नियम 33 के अनुरूप एक अर्थ टर्मिनल उपलब्ध कराया है/नहीं कराया है तथा यह अर्थ टर्मिनल यू.पी.सी.एल. के अर्थिंग सिस्टम के साथ संयोजित किया गया है/नहीं किया गया है।

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–2

भार वृद्धि/कमी हेतु आवेदन

आवेदन संख्या

आवेदन दिनांक

भार वृद्धि		भार में कमी	
वर्तमान स्वीकृत भार		वर्तमान स्वीकृत भार	
भार में निवेदित वृद्धि		भार में निवेदित कमी	

1	उपभोक्ता संख्या	
1. अ)	पुस्तक संख्या	
2	उपभोक्ता का नाम	

पता जिस पर आपूर्ति प्रदान की जानी है	मकान/प्लाट	
	गली	
	कॉलोनी /क्षेत्र	
	जिला	
दूरभाष :		मोबाइल :

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

आयोग की आज्ञा से,

आनन्द कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/248–भाग 1–क–2007 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।